বিষাধ মান্ত দ্বাধান মান্তব্য – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० –148/2004,
ঘাবো – 363,366,376 মা০বঁ০মাঁ০,
ব ঘাবা 3(1)(Xii) एম০বাঁ০/एম০বাঁ০ एকব
থানা- मবস্তব্যুত্ত, जिला-फिरोजाबाद



#### UPFD010005052006

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद उपस्थित ... ...इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193 विशेष सत्र वाद सं० 607/2006

राज्य	अभियोजनपक्ष
	बनाम
<b>1- एनुलहक</b> पुत्र गुलशेर,	
<b>2– अफजाल</b> पुत्र नईमखाँ,	
समस्त निवासीगण– रूपसपुर, थाना	मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद।
	अभियुक्तगण।

धारा – 363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी०एक्ट थाना – मक्खनपुर, जिला – फिरोजाबाद। मु०अ० सं० – 148/2004

### <u>निर्णय</u>

- 1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 148/2004 में अभियुक्तगण एनुलहक एवं अफजाल के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क -6 अंतर्गत धारा 363,366,376 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
- 2. प्रस्तुत प्रकरण चूंकि धारा 376 भा०द०सं० से सम्बन्धित है, अस्तु पीड़िता का नाम विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए गुप्त रखा गया और उसे निर्णय में 'पीड़िता' शब्द से सम्बोधित किया गया है।
- 3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा (Informant) **बीरी सिंह**, निवासी रूपसपुर, थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद ने थानाध्यक्ष मक्खनपुर, फिरोजाबाद को लिखित प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि-

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलक्क आदि
युoअ०सं० – 148/2004,
ष्वारा – 363,366,376 मा०दं०सं०,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

"निवेदन है कि मैं वीरी सिंह पुत्र बृजवासी, निवासी रूपसपुर, थाना मक्खनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पुत्री/पीड़िता उम्र लगभग 16 वर्ष जो दिलावर पुत्र मुरादखाँ निवासी रूपसपुर थाना मक्खनपुर के चूड़ी कटाई अड्डे पर कटाई का काम करती है। दिनांक 20–12–2004 को समय लगभग दिन के 04.00 बजे एनुलहक पुत्र गुलशेर निवासी रूपसपुर मेरी पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर अफजाल जो गुलशेर का दामाद है की मदद से मेरी पुत्री को बस स्टैण्ड शिकोहाबाद के सामने जाते हुं हमारे गाँव के पंचमसिंह पुत्र सोने लाल बघेल, प्रकाश पुत्र राम सिंह बघेल, छोटेलाल पुत्र इतवारी वाल्मीक ने देखा। आज हम अपनी पुत्री/पीड़िता की तलाश कर रहे थे तो उपरोक्त लोगों ने मुझे बताया है।

<u>अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही</u> <u>करें।"</u>

- 4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना मक्खनपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 148/2004 अंतर्गत धारा 363,366 भा०द०सं० प्रदर्श क-9 दिनांक 21-12-2004 को समय 11.30 बजे पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (GD) में तत्क्षण रपट सं० 24 के रूप में समय 11.30 बजे की गयी तथा विवेचना विवेचक को हस्तगत की गयी एवं तत्पश्चात विवेचना अग्रसारित की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए, साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 तैयार किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-6 प्रेषित किया गया।
- 5. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्त को आरोप के बिन्दु पर सुना गया तथा पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्तगण एनुलहक एवं अफजाल के विरूद्ध दिनांक 03-07-2007 को आरोप अन्तर्गत धारा 363,366,376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

<u>धारा 363 भा०द०सं० के अंतर्गत</u> अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है–

(i) यह कि व्यपहृत किया गया व्यक्ति, अपराध के समय भारत में निवास कर रहा था;

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006 CNR NO.UPFD010005052006 राज्य बनाम एनुलहक आदि मु०अ०सं० –148/2004, षारा – 363,366,376 मा०वं०सं०, व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक थाना- मक्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

- (ii) यह कि ऐसा व्यक्ति उस समय विधिपूर्ण संरक्षकता के अधीन था;
- (iii) यह कि ऐसा व्यपहरण बिना उस व्यक्ति की सम्मति के या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना किया गया।

# <u>धारा 366 भा०द०सं० के अंतर्गत</u> अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है–

- (।) यह कि अभियुक्त ने अपहरण या व्यपहरण किय;
- (ii) यह कि अपहृत या व्यपह्त व्यक्ति महिला थी,
- (iii) यह कि वह तब आशय रखता था या जानता था कि वह संभाव्य है-
- (अ) यह कि ऐसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए बाध्य किया जायेगा,
- (ब) यह कि अयुक्त संभोग करने के लिए वह महिला विवश या विलुब्ध की जायेगी।

#### अथवा

- (i) यह कि अभियुक्त ने एक महिला को उत्प्रेरित किया,
- (ii) यह कि किसी महिला को-
- (अ) विवश करने के द्वारा, या
- (ब) आपराधिक अभित्रास द्वारा या
- (सा) प्राधिकार के दुरूपयोग द्वारा किसी स्थान से ले जाया गया,
- (iii) यह कि वह तब आशय रखता था या जानता था कि-
- (अ) ऐसी महिला को उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने के लिए बाध्य किया जायेगा, या
- (ब) ऐसी महिला आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी।

# <u>धारा 376 भा०द०सं० के अंतर्गत</u> अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है–

- (i) यह कि अभियुक्त ने प्रश्न में महिला से लैंगिक संभोग किया;
- (ii) यह कि ऐसा कार्य धारा 375 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया गया;
- (iii) यह कि प्रवेशन हुआ था।

# धारा 3(1) (Xii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में यह प्रावधान है कि–

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

বিशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० –148/2004,
धारा – 363,366,376 भा०वं०सं०,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना - मवर्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

(Xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिये, जिसके लिये वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा;

वह कारावास से , जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक ही हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।"

6. आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 वीरी सिंह	वादी/पिता पीड़िता (Informant)
2	PW-2 पीड़िता	पीड़िता/साक्षी
3	PW- 3 एस०आई० निरंजन	विवेचक
4	PW- 4 डा० अरूणाचन्द्रा	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
5	PW— 5 एस०आई० हरीचन्द्र	चिक लेखक
6	PW- 6 देवेन्द्र सिंह	द्वितीयक साक्षी
7	PW- ७ देवेश प्रकाश	द्वितीय विवेचक

### अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श	
1	तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1	
2	দৰ্ব	प्रदर्श क- 2	
3	सुपुर्दगीनामा	प्रदर्श क- 3	
4	बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 4	
5	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 5	
6	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 6	
7	चिकित्सीय रिपोर्ट पीड़िता	प्रदर्श क- 7	
8	मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क- 8	
9	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क- 9	
10	जी०डी०	प्रदर्श क- 10	

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006 CNR NO.UPFD010005052006 राज्य बनाम एनुलहक आदि मुoअ०सं० –148/2004, ছাবা – 363,366,376 দা০বঁ০सं০, व ছাবা 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

11	जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र	प्रदर्श क- 11
12	पैथालाजी रिपोर्ट	प्रदर्श क-12
13	स्लाइड रिपोर्ट	प्रदर्श क-13
14	एक्स–रे रिपोर्ट	प्रदर्श क-14

- 7. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने साक्षियों द्वारा झूठा बयान देना व रंजिशन झूठा मुकदमा चलना बताया। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।
- 8. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयों का परिशीलन किया।

# अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 वीरी सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं ग्राम रूपसपुर का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की का नाम पीड़िता है। यह घटना के समय 16 वर्ष की थी। मेरी पुत्री दिलावर के यहाँ चूड़ी के कटाई अड्डे पर कटाई का काम करती थी। जब मेरी लड़की काम के बाद वापिस घर नहीं आई तो मैने लड़की की तलाश शुरू की, तो मुझे पंचम सिंह, प्रकाश व छोटेलाल ने बताया कि मैने तुम्हारी लड़की को शाम 04.00 बजे दिनांक 20.12.04 को एनुलहक व अफजाल के साथ शिकोहाबाद के बस अड्डे के पास जाते हुए देखा है। ये लोग मेरी लड़की/पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गये। जानकारी प्राप्त होने पर मैने घटना की तहरीर प्रधान मुकट सिंह के लिखवायी थी। मैने जो बताया था वह उन्होंने तहरीर में लिखा। तहरीर को सुनने के बाद मैने उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसको सुनकर गवाह ने बताया कि यही तहरीर मैने मुकट सिंह से लिखवाई थी। गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। तहरीर पर प्रदर्श क-1 डाला गया। दिनांक 23-12-2004 को पेट्रोल पम्प के पास जो सुभाष तिराहे के पास है पर मुझे दरोगा जी मिले थे उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी लड़की के बारे में सूचना मिली है। उसे बरामद करना है और अपने साथ चलने को कहा। मेरे अलावा पुलिस वालों ने जगदीश व राजवरी को भी साथ लिया था। हम लोगों को साथ लेकर दरोगा जी सुभाष तिराहा शिकोहाबाद पहुंचे तो दरोगा जी के साथ एक आदमी के साथ में था। उसने इशारे से मेरी लड़की व मुल्जिम को दिखाया। वह व्यक्ति इशारा करने के बाद मौके से चला गया। मैने अपनी लड़की को देख पहचान लिया था। सुबह 08.30 बजे सुभआष तिराहे पर एनुलहक, अफजाल और मेरी पुत्री को बरामद किया। इस बरामदगी की मौके पर दरोगा जी

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० – 148/2004,
য়াত্ম – 363,366,376 मा०दं०सं०,
व ঘাरा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- मक्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

ने लिखा-पढी की थी। लिखा-पढी पर मेरे हस्ताक्षर भी कराये थे। फर्द बरामदगी को देखकर बताया कि वही फर्द है जिसको दरोगा जी ने मौके पर तैयार किया था। मुझसे हस्ताक्षर कराये थे। गवाह ने फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पृष्टि की। जिसर पर प्रदर्श क-2 डाला गया।"

# अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 'पीड़िता' को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि –

"करीब साढे सात साल पहले मैं दिलावर के अड्डे पर काम करती थी। मैं चूड़ी का काम करती थी। दिलावर का अड्डा मेरे गांव में ही है। मुल्जिमान एनुल व अफजाल भी इसी अड्डे पर काम करते थे। एनुल मेरे सामने बैठकर काम करता था। पास में अफजाल भी चूड़ी की कटाई का काम करता था। ये दोनों मुझसे अलग-अलग यह कहते थे कि चलो हम तुम्हें आगरा का ताजमहल दिखा लाये। घटना वाले दिन मैं सुबह 08.30 बजे अड्डे पर काम करने गई थी। दोपहर में खाने की छुट्टी में मैं अपने घर आ रही थी तो एनुलहक व अफजाल मेरे पीछे आये। अफजाल ने कहा कि गांव के बाहर के रास्ते से चलो। यदि नहीं चलोगी तो एनुल पर तमंचा है। नहीं तो तुम्हें व तुम्हारे भाई गोलू को मार देंगे। मैं डर गई और आगे-आगे चलकर रोड पर आई ये दोनों लोग मुझे तमंचे का भय दिखाकर बस में ब्ठा कर शिकोहाबाद के बस अड्डे पर शाम के 04 बजे ले आये। अफजाल जब सामान लेने चला गया तो उस समय हमारे गाँव के पंचम सिंह व राम प्रकाश साइकिल से गांव की तरफ से आ रहे थे। जब अफजाल सामान लेकर लौट आया तो एनुलहक व अफजाल मुझे रिक्शे पर बैठाकर शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन ले गये। उस समय सर्दी का मौसम था, कोहरा पड रहा था। एन्लहक मुझे रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मुझे ले गया और मेरे साथ जबरजस्ती तमंचा का भय दिखाकर जबरजस्ती मेरी इच्छा के विरद्ध मेरे साथ बुरा काम किया। वहां से ट्रेन से मुझे दोनों लोग फिरोजाबाद लेकर गये। फिरोजाबाद में मुझे एक मकान में रखा जहा पर एनुलहक रोज रात में मेरे साथ जबरजस्ती मेरी इच्छा के विरूद्ध बुरा काम करता था। तीसरे दिन एनुलहक व अफजाल मुझे फिरोजाबाद से शिकोहाबाद लेकर आये। शिकोहाबाद में सुभाष तिराहे पर मुझे व एनुलहक को छोड़कर अफजाल कमरे की तलाश में चला गया। तीसरे दिन सुबह शिकोहाबाद में जब मैं व एनुलहक सुभाष तिराहे पर थे तभी पुलिस वाले आ गये, जिनके साथ मेरे पिता जी वीरी सिंह थे। पुलिस ने आकर एनुलहक को <u>पकड़ लिया।</u> पुलिस ने वहाँ पर लिखा-पढी की थी। फर्द प्रदर्श क-2 को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने एनुल को सुबह 08.30 बजे गिरफ्तार किया था। वहां से पुलिस वाले मुझे व एनुल को लेकर थाना मक्खनपुर आये। उसी दिन पुलिस वालों ने मेरा डाक्टरी

বিशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० – 148/2004,
धारा – 363,366,376 माठदंठसं०,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
धाना – मवस्वपुर, जिला-फिरोजाबाद

परीक्षण महिला अस्पताल फिरोजाबाद में कराया था। उसके दूसरे दिन मेरा एक्स-रे हुआ था। मुझे मेरे माँ-बाप की सुपुर्दगी में लिखा-पढ़ी करके दिया था। फर्द पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। घटना के 20 दिन बाद पुलिस ने कचहरी में लाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष मेरा बयान कराया था। न्यायालय की अनुमित से बयान खोला गया और पीड़िता को पढ़कर सुनाया गया। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० सुनकर कहा कि यही बयान मैने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था। बयान पर पीड़िता ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। अफजाल व एनुलहक को मैं इस घटना के पहले से जानती थी। यह दोनों मेरे साथ अड्डे पर काम करते थे। इस घटना के बाद मेरी शादी हो चुकी है। इस समय मेरे दो बच्चे हैं।"

# अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 एस०आई० निरंजन लाल को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 21-12-2004 को थाना मक्खनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन मु०अ०सं० 148/2004, धारा 363,366 भा०दं०सं० बनाम एनुलहक आदि की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। उस दिन पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट अंकित की तथा का० क्रुर्क हरीशचन्द्र, वादी वीरी सिंह के बयान अंकित किए। उसी दिन घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। उसी दिन समाई साक्षी के बयान अंकित किये। पर्चा नं० 2 में गवाह रामप्रकाश के बयान अंकित किये तथा अभियुक्तगण के यहाँ दबिश दी। पर्चा नं० 3 में पीड़िता की बरामदगी हुई तथा अभियुक्त एनुलहक की गिरफ्तारी की गई। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेरे द्वारा बनाई गयी। जो मेरे लेख व हस्ताक्ष में है जो प्रदर्श क-2 है। उसी दिन पीडिता का बयान अंकित किया तथा उसका मेडिकल परीक्षण कराया तथा जी०डी० में अंकित किया। पर्चा नं० 4 में नकल सुपूर्दगीनामा अपहृता जी०डी० में अंकित किया। पर्चा नं० 5 में मुल्जिम अफजाल के यहाँ दबिश दी गयी। पर्चा नं० 6 में एफ०आई०आर० लेखक का बयान अंकित किया। पर्चा नं० ७ में बयान फर्द बरामदगी जगदीश, राजवीर, का० अवनीश के अंकित किये। पर्चा नं० 8 में पूरक रिपोर्ट पीड़िती नकल जी०डी० की गयी। पीड़िता अनुसूचित जाति की है और अभियुक्तगण मुस्लिम जाति के हैं। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त एनुलहक ने तमंचे की नोक पर बलात्कार किया। अतः धारा 376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट की बढोत्तरी की गयी। आगे की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा करने को लिखा गया। आगे की विवेचना सी०ओ० सदर रायबहादुर द्वारा की गयी, जिनकी मृत्यू

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम 'जुलहक आदि
गु०अ०सं० –148/2004,
ছাম্বা – 363,366,376 দা০বঁ০মং০,
व ছাरা 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट धाना – मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

14-12-2007 को हो चुकी है। यह मेरे साथ तैनात रहे हैं, लिखते-पढते देखा है। दिनांक 06-01-2005 को सी०ओ० द्वारा पूर्व पर्चों का अवलोकन किया। उनके द्वारा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० न्यायालय में कराया गया तथा अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया गया। दिनांक 14-01-2005 को बयान पीड़िता, श्रीमती शकुन्तलादेवी, पंचम सिंह, रामप्रकाश के अंकित हुए। पर्चा नं० 14 में वीरी सिंह, छोटेलाल, डा० श्रीमती अरूणाचन्द्र, डा० अरूण कुमार के बयान अंकित किये। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 363,366,376 भा०दं०सं० व धारा 3(1)12 एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया।"

# अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 डा० अरूणा चन्द्रा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि –

"दिनांक 23–12–2004 को मैं जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात थी। मेरे द्वारा 'पीड़िता' पुत्र वीरी सिंह का डाक्टरी मुआयना किया गया। जिसे का० सूरजपाल सिंह व होमगार्ड उर्मिला देवी थाना मक्खनपुर द्वारा लाया गया तथा प्रमाणित किया गया। पहचान चिन्ह दाहिनी ओर होड पर एक कटे का निशान था। दूसेर वाले गाल पर डेढ से०मी० लाल रंग का जन्मजात निशान था।

सामान्य परीक्षण - ऊचाई 4 फुट 11 इंच, वजन 38 किलो 500 ग्राम था। छाती पूर्व विकसित थी। बगल और गुप्तांग में बाल तथा 30 दांत उपस्थित थे। शरीर पर ताजे घाव के कोई निशान नहीं थे।

आन्तरिक परीक्षण हायमन टूटा हुआ था तथा पुराना फटा हुआ था। दो अंगुली आसानी से जा रही थी। योनि से खून नहीं आ रहा था। घाव व सूजन के कोई निशान नहीं थे। बच्चेदानी का आकार 8 हफ्ते का था।

जांचे— योनि के द्रव्य की दो स्लाइड तैयार की और उन्हे शुक्राणु परीक्षण के लिये भेजा गया। मूत्र परीक्षण (गर्भावस्था जाँच) के लिए लिया गया। दाहिनी कोहनी, कलाई और दाहिना घुटना का एक्स-रे आयु परीक्षण के लिए SNM अस्पताल फिरोजाबाद भेजा गया।

पूरक रिपोर्ट- एक्स-रे रिपोर्ट, प्लेट नं० 3214/2004 दिनांक 24-12-2004 रेडियोलाजी विभाग SNM अस्पताल फिरोजाबाद।

1– एक्स–रे दाहिनी कोहनी, 2– एक्स–रे दाहिनी कलाई, 3– एक्स–रे दाहिनी घुटना, दाहिनी कलाई, दाहिना घुटना हड्डिया जुड़ी हुई थी। अपनी Apphasip से जुड़ी हुई थी।

यूरिन रिपोर्ट पर प्रेगनेन्सी positive पायी गयी।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मुoअठसंo –148/2004,
য়াত্ম – 363,366,376 माठवंठसंo,
व ঘাरा 3(1)(Xii) एस०सीo/एस०टीo एक्ट
थाना- मक्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

वजिनल स्मीयर रिपोर्ट – जीवित या मृत कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। पीड़िता की उम्र करीब 18 वर्ष थी। बलात्कार के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी जा सकती है। दोनों ही रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो कागज सं० 5 अ/1 व 5 अ/2 पर है, जिस पर प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-8 डाला गया।"

# अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 रिटायर एस०आई० हरीशचन्द्र को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि –

"मैं दिनांक 21–12–2009 को थाना मक्खनपुर पर बतौर कान्सटेबल का० के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा वीर सिंह की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 148/2004, धारा 363,366 भा०दं०सं० बनाम एनुलहक आदि पंजीकृत किया था। जो मेरे लेख व हस्ताक्ष में है जिस पर प्रदर्श क– 9 अंकित किया गया। जिसका खुलासा जी०डी० में उस दिन रपट नं० 24 समय 11.30 बजे रोजनामाचा आम में किया था। असल जी०डी० नष्ट हो चुकी है। जी०डी० को प्रमाणित किया। जी०डी० पर प्रदर्श क–10 व जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क–11 अंकित किया गया।"

# अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 6 देवेन्द्र सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं लगभग 20 वर्ष सो जिला अस्पताल में कार्यरत हूँ। मैं आज मेडिकोलीगल रजिस्टर दिनांक 18-05-2001 से दिनांक 31-05-2007 तक का लेकर आया हूँ। पत्रावली पर मौजूद पैथालाजी रिपोर्ट 11 अ/2 डा॰ अरूण कुमार गुप्ता द्वारा तैयार की गयी है, , जो कि मेडिकोलीगर रजिस्टर के अनुसार सं० 94 डा॰ अरूण कुमार गुप्ता द्वारा तैयार किया गया। रिकार्ड के अनुसार उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जो पीड़िता की है। रिपोर्ट पर प्रदर्श क-12 अंकित किया गया। पैथौलाजी स्लाइड रिपोर्ट पत्रावली पर है जो डा॰ अरूण कुमार गुप्ता द्वारा तैयार की गयी है, उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। रिपोर्ट पर पर चढी है। इसकी शिनाख्त करता हूँ।"

# अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० ७ देवेश प्रकाश शर्मा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू ७ ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं वर्ष 1998 से जिला चिकित्सालय में तैनात हूँ। मेरे साथ डा० एस०के० राठौर तैनात रहे थे। मैने उनको लिखते पढते देखा है। दिनांक 24–12–2004 को पीड़िता की एक्स–रे रिपोर्ट तैयार की गयी थी। जो डा० एस०के० राठौर के लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, रिपोर्ट

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलक्क आदि
युoअ०सं० – 148/2004,
ष्वारा – 363,366,376 मा०दं०सं०,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

पत्रावली पर कागज सं० 11 अ/5 पत्रावली पर है, जिस पर **प्रदर्श क – 14** अंकित किया गया।"

- 9— प्रस्तुत प्रकरण बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है। अभिजोयन द्वारा उपलब्ध कराये गये मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या अभियुक्तगण एनुलहक और अफजाल ने ने वादी की पुत्री (पीड़िता) को दिनांक 20–12–2004 को बहला-फुसलाकर व्यपहत किया ? क्या अभियुक्तगण ने इस आशय से व्यपहत और अपहत किया कि पीड़िता को आयुक्त संभोग के लिए विवश किया जायेगा अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश किया जायेगा ? क्या अभियुक्त एनुल ने पीड़िता के साथ शिकोहाबाद स्टेशन के पास झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया एवं क्या अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य है उसको बहला-फुसलाकर बलात्कार करने के उद्देश्य से उसकी इच्छा के विरुद्ध अधिशासित किया जिससे उसका लैंगिक शोषण किया जा सके, जिसके लिए वह सहमत नहीं थी ?
- 10. बचाव पक्ष की ओर से विधि व्यवस्था **राहुल बनाम दिल्ली राज्य ग्रह मंत्रालय व अन्य 2023 (1) (CCSC 38) (SC)** न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का सम्यक अवलोकन किया तथा विधि व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया। प्रस्तृत मामले में घटना दिनांक 20-12-2004 की समय शाम 04.00 बजे की है। वादी पी०डब्लू० 1 की पुत्री (पीड़िता) आयु लगभग 16 वर्ष दिलावर पुत्र मुराद खाँ निवासी ग्राम रूपसपुर, थाना मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद के यहाँ चूड़ी कटाई का काम करती थी। दिनांक 20-12-2004 को वह काम करने गयी थी। घटना के सम्बन्ध में <u>वादी (Informant) वीरी सिंह पी०डब्लू० 1</u> द्वारा उल्लिखित प्रदर्श क-1 थाना प्रभारी मक्खनपुर फिरोजाबाद को दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 21-12-2004 को समय 11.30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-9 अन्तर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० पंजीकृत की गयी। विवेचना के दौरान बलात्कार की पुष्टि होने पर धारा 376 भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी के घर जब पीड़िता नहीं पहुँची तो उसकी तलाश की गयी। तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त एनुलहक पुत्र गुलशेर उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। उसके साथ एनुल का बहनोई अफजाल था। उसकी मदद से बहला-फुसलाकर ले गया। वादी ने तहरीर प्रदर्श क-1 में यह उल्लिखित किया है कि गाँव के पंचम सिंह पुत्र सोनेलाल, प्रकाश पुत्र राम सिंह बघेल, छोटेलाल ने देखा था और उन्होंने

বিशेष सन्न परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० – 148/2004,
धारा – 363,366,376 भा०दं०सं०,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
धाना- मक्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

बताया था। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी <u>पी०डब्लू० 5 उपनिरीक्षक</u> हरीशचन्द्र ने भी कहा कि 21–12–2004 को वह थाना मक्खनपुर पर तैनात था। वादी मुकदमा वीरी सिंह की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 148/2004 अन्तर्गत धारा 363,366 भा०दं०सं० बनाम एनुल आदि दो व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर <u>प्रदर्श क – 9</u> डाला गया। उसी समय रोजनामचाआम में रपट सं० 24 के रूप में समय 11.30 बजे उसकी प्रविष्टि की गयी। मूल जी०डी० नष्ट होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 20–12–2004 को पीड़िता घर नहीं पहुँची थी। उसकी तलाश की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन 21–12–2004 को पंजीकृत किये जाने में किसी भी प्रकार का अनुचित विलम्ब नहीं कारित किया गया है।

वादी ने तहरीर में पीड़िता की आयु 16 वर्ष अंकित किया है। विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय प्रमाण एकत्र नहीं किय गये। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया गया। उसकी कोहनी, कलाइयों और घुटने का एक्स-रे किया गया। **डा० अरुणा चन्द्र पी०डब्लू० 4** के साक्ष्य में आया है कि पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष थी तथा वह आठ सप्ताह की गर्भवती पाई गयी थी। स्पष्ट है कि मेडिकल रिपोर्ट के आलोक में पीड़िता लगभग 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी थी। दूसरे शब्दों में पूर्णतः वयस्क थी। अभियोजन कथानक के अनुसार दिलावर निवासी ग्राम रूपसपुर के यहाँ चूड़ी कटाई का काम करती थी। अभियुक्तगण एनुल और अफजाल भी वहाँ पर काम करते थे। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 के साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना समिचीन है। वादी पी०डब्लू० 1 वीरी सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता की आयु 16 वर्ष अभिलिखित किया और कहा कि पीड़िता दिलावर के यहाँ चूड़ी कटाई के अड्डे पर काम करता थी। जब पीड़िता वापस नहीं आी तो तलाश करना प्रारम्भ किया। पंचम सिंह, प्रकाश व छोटेलाल ने बताया था कि पीड़िता को शाम 04.00 बजे दिनांक 20-012-2004 को एनुल व अफजाल के साथ शिकोहाबाद बस अड्डे पर जाते हुए देखा है। अभियोजन साक्ष्यो के अनुसार पीड़िता को अभियुक्तगण बहला-फुसलाकर ले गया। जानकारी होने पर वादी ने तहरीर प्रधान मुकूट सिंह से लिखवाकर थाने पर दिया। जो बोला था वही लिखा था। दिनांक 23-12-2004 को शौकीराम पेट्रोल पम्प के पास सुभाष तिराहे पर दरोगा जी मिले। दरोगा जी ने बताया था कि लड़की के बारे में सूचना मिली है। उसे बरामद करने साथ चरले के लिए कहा गया। वादी के अतिरिक्त पुलिस वालों ने जगदीश व राजवीर को साथ में

বিষ্ঠাष सन्न परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम पुनुतहरू आदि
गु030सं० –148/2004,
हारा – 363,366,376 मा०दं०सं०,
व ছাरा 3(1)(ii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

लिया था। जैसे सुभाष तिराहे पर मिले तो एक व्यक्ति ने इशारे से बताया तो पीड़िता व मुल्जिम दिखाई दिये, उसके बाद वह चला गया। प्रातः 08.30 बजे सुभाष तिराहे पर एनुलहक, अफजाल और पीड़िता को बरामद किया गया। बरामदगी की फर्द मौके पर तैयार की गयी, जिस पर वादी ने अपने हस्ताक्षर किया था। फर्द बरामदगी प्रदर्श क - 2 पर वादी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है। प्रति-परीक्षा में कहा कि 21-12-2004 को वह थाना पर रिपोर्ट करने गया लगभग 10.00 बजे थाना पहुंच गया था। उसके साथ प्रधान व गाँव के लोग थे। जिनमे बृजराज यादव, पंचम सिंह, जगदीश, राजवीर आदि थे। रिपोर्ट गाँव में लिखाई थी। विवेचक ने पी०डब्लू० 1 का भी बयान लिया था। पी०डब्लू० 1 की पत्नी से भी पूछताछ की गयी थी। चूंकि पीड़िता कार्य स्थल पर थी इसलिए वादी पी०डब्लू० 1 को जानकारी नहीं हो पाई थी। पीड़िता को किस तरफ ले गया था ले जाते हुए नहीं देखा गया। गवाह पंचम सिंह, प्रकाश व छोटेलाल ने वादी को बताया था कि अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को ले जाते हुआ देखा गया है। वादी का गाँव हाइवे के किनारे है। 24 घण्टे ट्रैफिक चलता है। सुभाष तिराहे पर दरोगा जी खड़े मिले थे। वहीं वादी पहुँच गया। अभियुक्त और पीड़िता वहाँ मिले थे। रामवीर और जगदीश सुभाष तिराहे पर मिले थे। उसके पश्चात थाना मक्खनपुर ले जाया गया और पीड़िता का बयान 164 द०प्र०सं० अंकित कराया गया। इसी प्रकार पी०डब्लू० 1 के बयानों से स्पष्ट है कि घटना के अगले दिन सुभाष तिराहे से बरामद किया गया था। मुख्य-परीक्षा में अफजाल को उसी समय बरामद करने का कथन किया है, किन्तु प्रति-परीक्षा में कहा केवल एनुलहक और पीड़िता को बरामद किया गया है।

पी०डब्लू० 2 के रूप में पीड़िता को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा है कि वह दिलावर के अड्डे पर चूड़ी का काम करती थी। दिलावर का अड्डा गांव में है। अभियुक्त एनुलहक व अफजाल भी दिलावर के अड्डे पर काम करते थे। दोनों ही पीड़िता से अलग – अलग कहते थे कि चलो ताजमहल दिखा लाये। जिस दिन की घटना है उस दिन प्रातः 08.00 बजे पीड़िता काम करने गयी थी। अपराह्न में खाने के लिए वह अपने घर जा रही थी। एनुल और अफजाल पीछे – पीछे आये और अफजाल ने कहा कि गांव के बाहर वाले रास्ते से चलो यदि नहीं चलोगी तो एनुल पर तमंचा है। तुझे और तेरे भाई को मार देंगे। पीड़िता डर गयी और आगे – आगे चलकर रोड पर आई। तमंचा का भय दिखाकर शिकोहाबाद में बस में बिठाकर ले गये। अफजाल सामान लेने चला गया। उसी समय गांव के पंचम सिंह और रामप्रकाश आ रहे थे। जब अफजाल सामान लेकर लौटकर आया तो एनुलहक व अफजाल रिक्शे पर बैठाकर पीडिता को शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन ले गये।

বিशेष सन्न परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० – 148/2004,
য়াখা – 363,366,376 मा०दं०सं०,
व ঘাখা 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- मक्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

उस समय सर्दी का मौसम था, कोहरा पड रहा था। पीडिता ने अग्रेतर कहा कि एन्लहक उसे उसे रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ले गया और तमंचे का भय दिखाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध बुरा काम किया। फिर ट्रेन से दोनों लोग फिरोजाबाद ले गये। जहाँ उसे मकान में रखा गया। एनुलहक रोज रात में उसकी इच्छा के विरूद्ध बुरा काम करता था। तीसरे दिन एनुलहक व अफजाल उसे फिरोजाबाद से शिकोहाबाद लेकर आये। शिकोहाबाद में सुभाष तिराहे पर एनुलहक को छोड़कर अफजाल कमरे की तलाश में चला गया। तीसरे दिन सुबह शिकोहाबाद में पीड़िता और एनुलहक सुभाष तिराहे पर थे तभी पुलिस वाले आ गये। उनके साथ उसके पिता भी थे। पुलिस ने एनुल को पकड़ लिया। वहाँ पर लिखा-पढी हुई थी। फर्द को देखकर कहा उस पर हस्ताक्षर उसके हस्ताक्षर हैं। एनुलहक को सुबह 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त एनुलहक और पीड़िता को थाने ले गये। उस दिन पीड़िता मेडिकल महिला अस्पताल फिरोजाबाद में कराया था। दूसरे दिन एक्स-रे हुआ। माँ-बाप की सुपूर्दगी में पीड़िता को दिया गया। सुपूर्दगीनामा 10 अ जिस पर पीड़िता के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर प्रदर्श क-3 है। पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि घटना के लगभग 20 दिन बाद पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० अंकित कराया गया। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० पर अपने हस्ताक्षर की पृष्टि की, जिस पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि अफजाल व एनुलहक पहले से जानते थे। अड्डे पर उसके साथ काम करते थे। पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि जहाँ वह काम करती थी वहाँ पर आठ लोग और काम करते थे। जिनमे तीन महिलाएं और पाँच पुरूष थे। सभी लोग आमने-सामने बैठकर काम करते थे। पीड़िता ने वहाँ लगभग एक तक काम किया। एनुलहक ताजमहल दिखाने की बात करता था, लेकिन पीड़िता कभी भी राजी नहीं हुई। डर के मारे पीड़िता ने इस बारे में अपने माँ-बाप से शिकायत नहीं की थी। अभियक्त से डर था इसके पश्चात भी वह वहाँ काम करती रही। घटना वाले दिन वह दोपहर में खाना खाने जा रही थी। पीड़िता का घर चूड़ी अड्डे से थोड़ी दूर स्थित है। जिस समय पीड़िता खाना खाने जा रही थी अभियुक्त एनुल और अफजाल उसके पीछे-पीछे लग गये। अफजाल ने यह बात मुझे बताई थी कि एनुल पर तमंचा है। लेकिन पीड़िता ने तमंचा देखा नहीं था। जिस समय पीड़िता चूड़ी अड्डे से बस अड्डा जा रही थी तो रास्ते में काफी आदमी आते -जाते मिले। बस अड्डा रूपसपुर गांव से नहीं लगा है दूर है। बस अड्डा रूपसपुर के पास गांव के मकानात हैं। इस बस अड्डे पर कई एक दुकाने हैं। उस समय वह दुकाने खुली नहीं थी। बस अड्डा चौराहा पर उस समय आने -जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० – 148/2004,
धारा – 363,366,376 দা০বঁ০सं০,
व धारा – 3(1)(মা) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

था। चूड़ी अड्डा से बस अड्डा जाने में तमंचा के डर की वजह से नहीं चिल्लाई थी। में थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही और शिकोहाबाद जाने वाली बस मिल गयी थी। बस में से कोई सवारी नहीं उतरी थी। मैं 3-4 बजे शिकोहाबाद बस अड्डा पर उतरी थी। इस बस में सवारिया थी बस भरी थी। मुल्जिमान मेरे साथ थे इसलिए मैं नहीं चिल्लाई थी। शिकोहाबाद बस स्टैण्ड पर बस के रूकने के दौरान अफजाल शिकोहाबाद अपनी बहन के घर पर चला गया था। मैं व एनूलहक दोनों बस स्टैण्ड के अन्दर बैठे रहे थे। अफजाल अपनी बहन के घर से घण्टा भर में वापिस आया था। बस अड्डा शिकोहाबाद पर काफी भीड थी। बस अड्डा शिकोहाबाद से रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद जाने तक दोनों तरफ दुकाने, मकानात व भीड-भाड आने-जाने वालों की थी। रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद पर भी भीड थी। एनुलहक मुझे रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद से रेलवे की पटरी के 10-15 कदम दूरी पर झाड़ियों में ले गया वहाँ झाड़ियों में रात भर रका। मैं झाड़ियों में से सवेरे 4-5 बजे वापिस आई। फिरोजाबाद जाने के लिए रेलगाड़ी सुबह 05.00 बजे मिली थी। एनुलहक मुझे फिरोजाबाद बस अड्डा ले गया फिर वहा पर मुझे पुलिस ने देख लिया। मुझे व एनुलहक व अफजाल को पुलिस ने पकड़ लिया। बस स्टैण्ड फिरोजाबाद से हम तीनों मक्खनपुर पकड़कर पुलिस लाई थी। थाना मक्खनपुर पुलिस ने मेरे माँ-बाप को बुलाया। तब पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी। प्रति-परीक्षा में आया है कि तीनों लोगों को पुलिस ने 23 तारीख को पकडा था। पीडिता ने यह भी कहा कि जब वह शिकोहाबाद बस अड्डा पर थी तब गांव के प्रकाश व पंचम सिंह मिले थे। उन लोगों से भी पीड़िता ने बचाने के लिए नहीं कहा। जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसके अगले दिन माँ-बाप के सुपुर्द पुलिस ने कर दिया था। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया गया। दिनांक 11-01-2005 को अंकित किया गया। जिसमें पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह दिलावर नामक व्यक्ति के अड्डे पर काम करती थी। वहाँ पर एनल व अफजाल भी काम करते थे। एनुल रोज आगरा जाने के लिए कहता था, किन्तु पीड़िता मान करती थी। धारा 164 द०प्र०सं० में भी कहा कि एनुल और अफजाल उसे तमंचे की नोक पर बैठा लिया और शिकोहाबाद ले गये। रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन ले गये और उसके साथ जबरजस्ती बुरा काम किया। जब पीड़िता चिल्लाती तो उसका मुँह दबा देते थे। स्पष्ट रूप से पीड़िता ने कहा कि अफजाल ने उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया था। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण दिनांक 23-12-2004 को महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में डा० अरूणाचन्द्रा द्वारा किया गया। पीडिता की **मेडिकोलीगल रिपोर्ट प्रदर्श क -8** निम्नवत है-

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० –148/2004,
धारा – 363,366,376 मा०दं०सं०,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
धाना- मक्ष्वमुद, जिला-फिरोजाबाद

### पीडिता का मेडिको लीगल परीक्षण दिनांक- 23-12-2004

I have examined km (Victim) D/o Beeri Singh Rlo Roopaspur, Thana Makkhanpur, Dist-Firozabad.

B/B & Identified by— Constable Soorajpal Singh, CP No 494 Thane Makkharpur, HG 2018 Urmila Devi Thana Uttar.

MI-A cut stitch Mark on Rt angle of lips

2. Red mark (by birth) 1/1/2 cm on left cheek bone

Height 4 Feet 11", Wt 38.1/2 kg, Breast- well developed, Axilliary and Public hair -Present. Teeth - 15/15 Total 30 Teeth

G/E - There is no mark of fresh injury on any part of the body

O/E of Private parts: Vagina admits 2 fingers easily. Hymen torn, old tags Present.

No BPV. There is no mark of injury or tenderness. Uterus seens 8 Wks size.

<u>Investigation</u>— Two slides of vaginal smear made for confirmation of spermatozoa.

Urine test for pregnancy advised.

X-ray of Wrist Joint, Elbow Joint and knee Joint for Confirmation of age — Sent to S.N Hospital Firozabad.

#### 4-1-2005

### Supplementary Report-

Certified that I have examined Km (victim) D/o Shri Beeri Singh R/o Roopaspur, Thana Malchanpur Disli- Firozabad

B/B & Identified by - Surajpal singh CPN-494 Thane Makhanpur.

HG 2068 Urmila Devi Thana Ultar at— Female Hospital Firozabad at—4:30pm on 23/12/2004

M/1-1. A cut stich mark on Rt angle of lips.

2. Red mark (by birth) 1/2 cm on Left Cheekbone

বিষাঁদ सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006 CNR NO.UPFD010005052006 राज्य बनाम एनुलहक आदि मुठअठसंo –148/2004, ছাযো – 363,366,376 দাতবঁতसंo, ব ছাযো 3(1)(Xii) एस०सीo/एस०टीo एक्ट थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

- 1. X-ray report: No 3214/04 dated 24-12-2004 at- Depit of Radiology SNM Hospital Firozabad.
- 1. X-ray Rt elbow-A-P x-ray, 2. X-ray Rt wrist AP, 3. X-ray Rt Knee AP

all the epiphysis rt elbow, wrist knee Joint have fused with their respective epiphysis.

Urine report for pregnancy – Urine test for pregnancy in positive.

Vaginal smear examination Report. – Spermatozoa alive or dead not seen.

#### Conclusion-

- 1. Her age is about 18 years.
- 2. She is pregnant about 8 wks
- 3. No definite opinion about rape Can be given.

पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 04-01-2005 को तैयार की गयी। डा० अरूणाचन्द्र को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 4 के रूप में परीक्षित किया गया। जिनके साक्ष्य में आया है कि हायमन पुराना टूटा हुआ था। घाव व सूजन के कोई निशान नहीं थे। दो उंगली आसानी से प्रवेश हो रही थी। शुक्राणुओँ की जाँच के लिए दो स्लाइड तैयार की गयी थी। यूरीन रिपोर्ट में प्रेगनेन्सी पाजिविटिव पाई गयी। कोई जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाया गया। पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष पायी गयी। मेडिकोलीगल रिपोर्ट के सम्बन्ध में पी०डब्लू० 6 देवेन्द्र सिंह लैब अस्सिटेंट को परीक्षित किया गया। जिनके साक्ष्य में आया है कि वह 20 वर्षों से जिला अस्तपताल में कार्यरत हैं। उनके द्वारा मेडिकोलीगल रजिस्टर दिनांक 18-05-2001 से 31-05-2007 के माध्यम से इस पैथालाजी रिपोर्ट 11 अ/2 को साबित किया गया। उक्त पैथालाजी रिपोर्ट मूल रूप से डा० अरूण द्वारा तैयार की गयी है। रजिस्टर के अनुसार उसकी प्रविष्टि क्रम सं० ९४ पर की गयी जो डा० अरूण द्वारा तैयार की गयी। उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त साक्षी ने किया। उक्त रिपोर्ट पर प्रदर्श क-12 डाला गया। पैथालाजी रिपोर्ट पत्रावली पर 11 अ/1 भी डा० अरूण द्वारा तैयार की गयी है। उनके हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क-13 डाला गया। साक्षी ने कहा कि उक्त रिपोर्ट उनके द्वारा नहीं तैयार की गयी थी। पी०डब्लू० ७ देवेश प्रकाश शर्मा को द्वितीयक साक्षी के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनके साथ डा० एस०के० राठौर जिला अस्पताल में तैनात रहे हैं एवं 24-12-2004 को पीड़िता के एक्स-रे रिपोर्ट

বিষ্ণাদ্ধ सন্ন দ্বৰ্থান্ধাদ্ संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मुठअठसंo –148/2004,
धारा – 363,366,376 দাতবঁতसंo,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सीo/एस०टीo एक्ट
धाना- मवर्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

उनके द्वारा तैयार की गयी है। डा० एस०के० राठौर के हस्ताक्षर की शिनाख्त साक्षी ने किया है। रिपोर्ट पत्रावली पर 11 अ/5 है। एक्स-रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क-14 अंकित किया गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 उपनिरीक्षक निरंजनलाल के द्वारा प्रस्तुत मामले की प्रारम्भिक विवेचना की गयी थी तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 तैयार किया गया है। आरोप पत्र प्रदर्श क-6 को भी उनके द्वारा साबित किया गया है। प्रति-परीक्षा में साक्ष्य में आया है कि अपहृता पिता की मौजूदगी में बरामद हो गयी थी। सूभाष तिराहे के पास अपहृता को बरामद किया गया। बरामदगी का समय 08.30 का भरा था। अपहृता और अभियुक्त की गिरफ्तारी की फर्द बनाई गई थी। सुभाष तिराहे से शिकोहाबाद लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। पीड़िता ने भी अपनी बरामदगी सुभाष तिराहा पर होना बताया है। पीड़िता के पिता ने भी सुभाष पर बरामदगी की पुष्टि की है। पत्रावली पर फर्द बरामदगी प्रदर्श क-2 है जो दिनांक 23-12-2004 को उपनिरीक्षक निरंजनलाल द्वारा का० अवनीश कुमार व अन्य की उपस्थिति में तैयार की गयी थी। बचाव पक्ष की ओर से बहस के दौरान यह तर्क दिया गया था कि पीड़िता के बयान में आया है कि कथित रूप से अभियुक्तगण उसे फिरोजाबाद ले गये। जबकि बरामदगी शिकोहाबाद में दर्शायी गयी है। बरामदगी का तथ्य अभियोजन कथानक के लिए कदापि घातक नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के आलोक में यह बात सिद्ध है कि पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष के आस-पास की थी। दूसरे शब्दों में वह व्यस्कता प्राप्त कर चुकी थी। पीड़िता दिलावर नामक व्यक्ति के यहाँ चूड़ी अड्डा पर काम करती थी। वही पर अभियुक्तगण एनुलहक और अफजाल भई काम करते थे। एनुलहक पीड़िता को ताजमहल दिखाने के लिए कई बार कहा, जिसे पीड़िता ने मना किया। घटना वाले दिन अर्थात 20-12-2004 को पीड़िता जब दोहर को भोजन करने घर जा रही थी। उसी समय एनुलहक मुख्य अभियुक्त पीछे-पीछे गया और उसका बहनोई अफजाल भी पीछे-पीछे गया। जहाँ से बस से शिकोहाबाद ले जाया गया। पीड़िता के महत्वपूर्ण बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त एनुलहक पीड़िता को शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन की झाड़ियों में ले गया। जहाँ पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। घटना के दिन जब पीडिता घर वापस नहीं लौटी तो उसके पिता ने तलाश किया। तलाश के दौरान प्रकाश और पंचम सिंह नामक व्यक्तियों ने बताया कि एनुलहक के साथ पीड़िता को देखा गया। इस आधार पर तहरीर प्रदर्श क-1 थाना मक्खनपुर पर दी गयी और इसी आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता ने जो बयान विवेचक को अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित कराया था उस बयान की पुष्टि अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में किया है और यह स्पष्ट रूप

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006 CNR NO.UPFD010005052006 राज्य बनाम पुजुलक आदि मु०अ०सं०-148/2004, घारा – 363,366,376 मा०दं०सं०, व घारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद

कहा है कि अभियुक्त एनुल ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बल पूर्वक बुरा काम अर्थात बलात्कार किया है। मेडिकल रिपोर्ट में भले ही किसी मृत अथवा जीवित शुक्राणु न पाया गया हो और उसके गुप्तांग में चोट के निशान न हो फिर भी सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का समाधान है कि पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभियुक्त एनुलहक द्वारा अपहृत किया गया और एस एक स्था से दूसरे स्थान ले जाया गया। उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता के साक्ष्यों में आया है कि अभियुक्त एनुल के पास तमंचा था। यद्यपि उसने तमंचा नहीं देखा। जिस रास्ते से पीड़िता को ले जाया गया वहाँ भीड़ भाड़ थी। बस में सवारियां थी, किन्तु पीड़िता ने शोर शराबा नहीं किया। यह संभव है कि पीडिता भयाक्रान्त होने के कारण उसने शोर नहीं मचाया। बलात्कार जैसा जघन्य अपराध में साक्ष्यों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। मात्र पीड़िता के बयान पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि पीड़िता का बयान और परिस्थितियां न्यायालय का विश्वास जाग्रत करने वाली हों। अभियुक्त अफजाल की कोई भी भूमिका प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होती है। अभियुक्त एनुलहक द्वारा इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि वह दिलावर नामक व्यक्ति के यहाँ काम करती थी। पीडिता के साक्ष्यों में भी स्पष्ट रूप से आया है कि जहाँ पर पीड़िता काम करती थी, वहीं पर अभियुक्तगण भी काम करते थे। अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रति-परीक्षा में भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है कि वह दिलावर के यहाँ चूड़ी अड्डे पर काम नहीं करता था। इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया। स्पष्ट रूप से पीड़िता और अभियुक्त एक-दूसरे को पहले से जानते थे और एक ही स्थान पर काम करते थे। एक ही स्थान पर कार्य करने का अनुचित लाभ अभियुक्त द्वारा उठाया गया। पीड़िता को भयक्रान्त करके उसे ले जाया गया। अभियुक्त अफजाल को मात्र इसलिए सम्मिलित कर लिया गया कि वह मुख्य अभियुक्त का बहनोई है। बहनोई द्वारा किसी भी प्रकार की न तो कोई छेड़छाड़ की गयी और न तो अपहरण में सहयोग किया गया। उसकी सम्पूर्ण घटनाक्रम में साक्ष्यों से भागीदारी परिलक्षित नहीं होती है। अभियुक्त एनुल द्वारा पीड़िता का अपहरण किया गया और उसके द्वारा पीडिता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया गया।

उपरिवर्णित साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पीड़िता को अभियुक्त एनुलहक भयग्रस्त कर अपहरण कर ले गया तथा उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने यत्र—तत्र अफजाल को साथ में होने का कथन किया है, किन्तु उसके सम्पूर्ण घटनाक्रम में भूमिका स्पष्ट नहीं है और ना ही उसके किसी आपराध में सम्मिलित होने के बाबत कोई विश्वसनीय

বিशेष सन्न परीक्षण संख्या – 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
राज्य बनाम एनुलहक आदि
मु०अ०सं० – 148/2004,
धारा – 363,366,376 भा०दं०सं०,
व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
धाना- मक्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

है। अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये अफजाल के सम्बन्ध में सरसरी तौर पर कथन पीडिता एवं उसके पिता द्वारा किया गया है। पीडिता 18 वर्ष की थी वह वयस्क थी। अस्तु घटना के समय ह नहीं कहा जा सकता कि वह विधिपूर्ण संरक्षकता में थी। उसे व्यपहृत नहीं अपितु अपहृत किया गया। पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य थी। अभियुक्त अनुलहक उसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था जिसका प्रयोग उसने लैगिंक शोषण के लिए किया, जिसके लिए पीड़िता सहमत नहीं थी। अभियुक्त एनुलहक यह जानता था तथा यह आशय रखता था कि पीड़िता को उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने के लिए विवश अथवा विलुब्ध किया जायेगा। पीड़िता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कथन अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० दिया और विवेचक के सामने जो कथन अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० दिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। पीड़िता ने अपने बयानों में कहा था कि उसे सुभाष तिराहे पर एनुलहक और अफजाल के साथ बरामद किया गया, किन्तु फर्द बरामदगी से और विवेचनाधिकारी के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि बरामदगी मात्र अपहृता और एनुलहक की, की गयी। अफजाल को न तो बरामद किया गया और ना ही वह वहाँ उपस्थित पाया गया। अभियुक्त अफजाल के सम्बन्ध में अभियोजन कोई भी विश्वसनीय एवं अकाष्ट्रय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अपराध कारित करने में उसकी संलिप्तता साक्ष्यों से सिद्ध नहीं है। उसके सम्बन्ध में संदेह के बादल विद्यमान है, जबकि अभियुक्त एनलहक के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में अभियोजन लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियुक्त एनुलहक के सम्बन्ध में धारा 363 भा०दं०सं० के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। जबिक धारा 366, 376 भा०दं०सं० व धारा 3(1)12 एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियुक्त अफजाल को मात्र रिश्तेदार होने के कारण फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित किया जाना साबित नहीं है। मामले के तथ्यों परिस्थितियों में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में अभियुक्त एनुलहक आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376 भा०दं०सं० व धारा 3(1)12 एस०सी०/एस०टी० एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है, किन्तु <u>धारा 363 भा०द०सं०</u> में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। <u>अभियुक्त</u> अफजाल के विरुद्ध के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से साबित नहीं है, अस्तु वह संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

বিষ্ণাধ মার ঘণীঞ্চাण संख्या — 607/2006
CNR NO.UPFD010005052006
रাज्य बनाम एनुलहक आदि
मुठअठसंo —148/2004,
धारा — 363,366,376 भावंठसंo,
व ঘার 3(1)(Xii) एस०सीo/एस०टीo एक्ट
धाना — मरचनपुर, जिला-फिरोजाबाद

### आदेश

अभियुक्त **एनुलहक** को आरोप अंतर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड सिहंता के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 366,376 भारतीय दण्ड सिहंता व धारा 3(1)(XII) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त अफजाल को आरोप अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड सिहंता व धारा 3(1)(XII) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त एनुलहक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद) दिनांकः 18.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट फिरोजाबाद। ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति की पीड़िता के साथ बलात्कार जैसा गंभीर एवं जघन्य अपराध कारित किया गया है। अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदद्योषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त गरीब परिवार से हैं। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्त का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

### <u>दण्डादेश</u>

अभियुक्त एनुलहक निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है – धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 07 साल का सश्रम कारावास व मुव० 10,000/ – (दस हजार रूपये) रूपये

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 607/2006 CNR NO.UPFD010005052006 राज्य बनाम एनुलहक आदि यु०अ०सं० –148/2004, बारा – 363,366,376 मा०वं०सं०, व धारा 3(1)(Xii) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना- मक्यनपुर, जिला-फिरोजाबाद

के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 10 साल का सश्रम कारावास व मुव० 20,000/- (बीस हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (XII) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 01 साल का सश्रम कारावास व 5,000/- ( पाँच हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 01 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्त एनुलहक का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि पीड़िता को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

(इफराक अहमद)

ID NO UP6193

दिनांकः 18.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट फिरोजाबाद।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांकः 18.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट फिरोजाबाद।

**ID NO UP6193**